भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2568

उत्तर देने की तारीख 2 अगस्त, 2022 11 श्रावण, 1944 (शक)

सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को पेंशन

2568 श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को उनकी आजीविका हेत् पेंशन उपलब्ध करा रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश में कितने खिलाड़ियों को पेंशन प्राप्त हो रही है;
- (ग) क्या समय के साथ इस पेंशन में कोई वृद्धि हुई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी हां । सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रतिवर्ष निश्चित मासिक आय प्रदान करने के उद्देश्य से मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम कार्यान्वित कर रही है । मौजूदा स्कीम के तहत पूर्व खिलाड़ियों को 12,000/- रु. से 20,000/- रु. तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है ।

वर्तमान में, 829 पूर्व खिलाड़ी इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं । इस विभाग में राज्य-वार सूची नहीं रखी जाती है ।

(ग) और (घ): जी हां । पिछले कुछ वर्षों में पूर्व खिलाड़ियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है । पेंशन की मौजूदा दरें निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	मेधावी खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशन की दर
		(रु./प्रति माह)
1	ओलंपिक खेलों/ पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेता	20,000
2	ओलंपिक और एशियाई खेलों की खेल विधाओं में विश्व	16,000
	कप/ विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	
3	ओलंपिक और एशियाई खेलों की खेल विधाओं में विश्व कप	14,000
	में रजत और कांस्य पदक विजेता	
4	एशियाई/ राष्ट्रमंडल खेलों/ पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण	14,000
	पदक विजेता	
5	एशियाई/ राष्ट्रमंडल खेलों/ पैरा एशियाई खेलों में रजत	12,000
	और कांस्य पदक विजेता	

मासिक पेंशन की धनराशि पिछली बार 07.06.2018 को संशोधित की गई थी जिसमें प्रत्येक श्रेणी के तहत धनराशि को पूर्ववर्ती मौजूदा धनराशि से दोगुना कर दिया गया था ।

Government of India Ministry of Youth Affairs & Sports Department of Sports

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2568 TO BE ANSWERED ON 02.08.2022

Pension to the Retired Sportspersons

†2568. SHRI VIVEK NARAYAN SHEJWALKAR:

Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

- (a) whether the Government is providing pension to the retired sprtspersons for their livelihood;
- (b) if so, the details thereof and the number of sportspersons getting pension in Madhya Pradesh;
- (c) whether there is any increase in this pension over time; and
- (d) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS [SHRI ANURAG SINGH THAKUR]

(a) and (b): Yes sir. The Government is implementing the Scheme of Pension to Meritorious Sportsperson with an objective to provide assured monthly income through annuity for outstanding sportspersons. Under the existing Scheme, a monthly pension

ranging from Rs.12,000/- to Rs.20,000/- is provided to the exsportspersons.

Currently, 829 ex-sportspersons are receiving benefits under the Scheme. State-wise list is not maintained in the Department.

(c) and (d): Yes Sir. The amount of pension to the ex-sportspersons has been increased over the years. The existing rates of pension are as under:-

S. No.	Category of meritorious sportspersons	Rate of Pension
		(Rs./per month)
1	Medalists at the Olympic Games / Para Olympic Games	20,000
2	Gold medalists at the World Cup/World Championship* in Olympic and Asian Games disciplines	16,000
3	Silver and Bronze medalists at the World Cup* in Olympic and Asian Games disciplines	14,000
4	Gold medalists of the Asian/ Commonwealth Games/Para Asian Games	14,000
5	Silver and Bronze medalists of the Asian/ Commonwealth Games/ Para Asian Games	12,000

This amount of monthly pension was last revised on 07.06.2018 wherein the amount under each category was doubled from the earlier existing amount.
